

न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आरटीएस)

दिनांक: 2.5.18

मि.न016/2018

सरकार बनाम अजय सिंह वर्ग0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कल्याण पुरा कला ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम कल्याण पुरा कलां तहसील कोटपूतली के ख0 न0 602/15.28 किस्म गै0मु0पहाड मेसे 0.04 पर अजयसिंह पुत्र जसराज ,नीलम पत्नि अजय सिंह जाति अहीर निवासी कल्याण पुरा कलां तहसील कोटपूतली ने बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नही आये । अत गैर सायलान के विरुद एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित है ।

अतःगैर सायलान अजय सिंह पुत्र जसराज ,नीलम पत्नि अजय सिंह जाति अहीर निवासी कल्याण पुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम कल्याण पुरा कलां तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 602/15.28किस्म जमीन गै0मु0पहाड में से 0.04है0पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उक्त आराजियात से गैरसालान अजय सिंह पुत्र जसराज, नीलम पत्नि अजय सिंह जाति अहीर निवासी कल्याण पुरा को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी1.28 का पचास गुणा 64रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखलीपैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 2.5.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2018 019 के पृष्ठ संख्या 120 पर 64-रु
हयवे कायम के तहसे ।

राजस्व
कोटपूतली